

तारीख
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो कि
हुकम की तारीख
में जारी हुआ

15-12-20

उपरोक्त उपस्थित पीलासीन अधिकारी राजकीय
कार्य से बाहर हैं। अवकाश पर है / पदरिक्त
दिना: पत्रावली दिनांक 24-12-20 को पेश हो।

1
उपर
उपरोक्त अधिकारी नाम

24-12-20

पत्रावली पेश हुई, वकील प्रार्थी उपस्थित
अप्रार्थी सं. 1, 2, 4, 5 के सम्मन बाद शामिल
होकर प्राप्त हुए जिसे शामिल पत्रावली
किये गये। वकील प्रार्थी अप्रार्थी सं. 3 उनके
विकल्प कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं। पत्वार
हल्का पत्वारी द्वारा मॉका रिपोर्ट प्राप्त हुई
जिसे शा. पं किया गया। अप्रार्थी गण को
कितनी मर्तबा आवाजे दिये जाने उपरान्त
भी उपस्थित नहीं, इनके विकल्प एक तरफा
कार्यवाही किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।
वकील प्रार्थी को प्रार्थना पत्र स्वीकार किया
जाकर निर्णय पृथक से लिखा जाकर शा.
पं किया गया। पत्रावली फ़ैसल सुमार
होकर निम्बर से कम हो।

उपस्थित
वकील प्रार्थी
अप्रार्थी सं. 3
24/12

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा



राजस्थान - सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाडा

न अधिकारी-महीपाल सिंह, आर.ए.एस.

संख्या - 126/20 प्रा.पत्र

श्री सोहन शंभू श्री रामदेव गिवासी-कैरिया तहसील-माण्डल

-प्रार्थी

बनाम

श्री प्रमोद शंभू श्री गोकुल देव गिवासी-कैरिया तहसील-माण्डल (कोरा)
(संबन्धित प्रापत्र संलग्न है)

-विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956

दिनांक:- 24.12.20

::आदेश::

श्री ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन के ग्राम.....कैरिया.....पटवार हल्का.....कैरिया.....तहसील माण्डल में उसके संयुक्त खाते की आराजी नं. 3388/2908.....कुल किता.....01.....रकबा.....03.....बिस्वा स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह ने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 24.07.20 को पंजीबद्ध किया जाकर को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काश्त काश्त की होने से डी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी अभिलेख में किसी प्रकार की री होने का अंदेशा नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यों को हुए नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

::आदेश::

ग प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम.....कैरिया.....पटवार हल्का.....कैरिया.....तहसील माण्डल में उसके खाते/संयुक्त खाते की नं. 3388/2908.....कुल किता.....01.....रकबा.....03.....बिस्वा भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये ग आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक.....300/- आलमास.....कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकरान् की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावें। फसल खडी होने पर पत्थरगढी नहीं की

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाडा

पि:- तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार गढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाडा